न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-15/2014

बजरंगलाल पुत्र भगवानाराम जाति ब्राह्मण निवासी कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर(राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- राजेन्द्रकुमार पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुमानपुरा तहसील
2- रामपाल पुत्र रतनलाल सीतारामगढ जिला सीकर ।
3- रामगोपाल पुत्र रतनलाल
4- नरबदी देवी पत्नी कालूराम
5- लक्ष्मीदेवी पत्नी मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कन्टेवा तहसील
6- कालूराम पुत्र भगवानाराम लक्ष्मणगढ जिला सीकर(राज0)
7- मूलचन्द पुत्र भगवानाराम
8- ओमप्रकाश पुत्र भगवानाराम
9- गुलाबी देवी पत्नी भगवानाराम
10-उप पंजीयक लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।
11-तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।
12-देवीलाल पुत्र हणमानसिंह जाति जाट निवासी डागरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28-1-2014 द्वारा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री फूलचन्द थालोड एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री प्रमोद मोदी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट
3-श्री नोपतराम चावला एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 32 रकबा 2.6900 हैक्टर वाके ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0- 1से 9 एक ही हिन्दू मिताक्षरा परिवार के सदस्य है। विवादित आराजी खसरा नं0 32 रकबा 2.6900 हैक्टर, ख0नं0 25 रकबा 1.0100 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 3.7000 हैक्टर पैतृक भूमियां है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज कन्हीराम की थी । कन्हीराम के दो पुत्र मोहनराम व रामकुमार हुये जिनका भी देहान्त हो गया । मोहनराम के पुत्र भगवानाराम व रामकुमार के एक मात्र पुत्री श्याना हुई। जिनका भी देहान्त हो गया । ख0नं0 32 अकेले रामकुमार की खातेदारी में दर्ज हो गई । जबकि ख0नं0 25 मोहनराम व रामकुमार के 1/2, 1/2 दर्ज हो गई ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बना उस समय कन्हीराम फौत होने के कारण रामकुमार ने भूमि ख0नं 32 की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों की भूल वश रामकुमार अकेले के नाम से गलत रूप से दर्ज हो गई । जो प्रार्थी व अप्रार्थी सं0- 6 से 9 के हक अधिकारों के मुकाबले कल अदम व बेअसर है। प्रार्थी ख0नं0 32 के 1/2 हिस्से पर अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्तकार चला आ रहा है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सं0- 2002 2008 तक होती है । रामकुमार के नाम इस आराजी की खातेदारी गलत दर्ज हो गई ।रामकुमार के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1 से 03 की माता श्याना के नाम दर्ज हो गई जिसके बाद अप्रार्थी संख्या-1 से 3 ने एक नुमाईशी विक्रय पत्र अप्रार्थी सं0-4 व 5 के नाम दर्ज करवा दिया। इस प्रकार यह आराजी पैतृक होने के बाद भी अप्रार्थी संख्या-1 से 3 ने इस आराजी का विक्रय गलत रूप से कर दिया । जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0- 4 व 5 इस आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वह इस आराजी का रहन विक्रय अन्तरण नहीं करे मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने

यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून, विधिक प्रक्रिया विपरित पारित किया है। आराजी ख0नं0 32 रकबा 2.6900 हैक्टर एवं ख0नं0 25 रकबा 1.01 हैक्टर पैतृक भूमिया है जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज कन्हीराम की खातेदारी में दर्ज थी । कन्हीराम के दो पुत्र मोहनराम व रामकुमार हुये। ख0नं0 25 मोहनराम व रामकुमार के 1/2, 1/2 दर्ज हो गया किन्तु ख0नं0 32 राजस्व कर्मचारियों की भूलवश अकेले रामकुमार के नाम दर्ज हो गया । रामकुमार के देहान्त के बाद यह आराजी विरासत के आधार पर रामकुमार की पुत्री श्यानादेवी के नाम दर्ज हो गया । जबकि ख0नं0 25 व 32 पर मोहन के पुत्र भगवानाराम का कब्जा काश्त रहा है ।श्यानादेवी का ससुराल गुमानपुरा तह0 दांतारामगढ था। श्यानादेवी का देहान्त होने पर विरासत के आधार पर उसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के नाम दर्ज कर दिया जिन्होने इस आराजी को गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या-4 व 5 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर ताकत के बल पर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को बेदखल कर इस आराजी को अन्तरण/बैचान करने पर आमादा है ।अपीलान्ट ने इस आराजी में अपने 1/10 हिस्से की घोषणा का दावा कर रखा है । अदालत मातहत को न्यायहित में दावे के निर्णय तक यथास्थिति के आदेश दिये जाने चाहिये थे। अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 की कोई तामिल नहीं हुई । अदालत मातहत ने बिना तामिल के ही आदेश पारित कर दिया ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमि है ।तथा विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है ।अदालत मातहत ने इन बिन्दूओं पर कोई गौर न कर आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे ।

प्रबन्ध अधिकारी एवं

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक भूमि है जो पूर्व में कन्ही राम के नाम दर्ज रही है । कन्हीराम के दो पुत्र मोहनलाल व रामकुमार हुये कन्हींराम के बाद यह आराजी मोहनलाल व रामकुमार के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूलवश यह आराजी ख0नं0 32 अकेले रामकुमार के नाम दर्ज हो गई । रामकुमार के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर श्यानादेवी के नाम दर्ज हो गया तथा श्याना देवी के देहान्त के बाद यह आराजी अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या-। से 3 के नाम गलत रूप से दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट सं0-। से 3 के नाम नामान्तरकरण संख्या-109। से दर्ज किया जिसकी नामान्तरकरण की अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील पेश की है जिसे स्वीकार किया गया है ।अर्थात हमारा कब्जा मानकर नामान्तरकरण संख्या-109।को खारिज किया गया है । जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के पक्ष में है। विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट को ही अपूर्ति क्षति है । बहस के समर्थन में आरआरटी 2017(1) पेज 360, आरबीजे(23) 2016 पेज 125 पर कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।अपीलान्ट ने सजरा खानदान गलत रूप से पेश किया है। अपीलान्ट ने मोहनराम का पुत्र भगवानाराम को बताया है जबकि मोहनराम नाऔलाद फौत हुआ है जिसके कोई सन्तान नहीं हुई ।वह नाऔलाद फौत हुआ है ।भगवानाराम लालचन्द का पुत्र है ।वंशावली में

पूर्णमल के दो पुत्र कन्हींराम व लालचन्द हुये ।कन्हींराम के दो पुत्र होना मोहन राम व रामकुमार स्वीकार है । किन्तु मोहनराम के भगवानाराम होना स्वीकार नहीं है । भगवानाराम तो लालचन्द का पुत्र है । और विवादित आराजी कभी भी लालचन्द की खातेदारी में नहीं रही है यह आराजी कन्हींराम की खातेदारी में रहीतथा कन्हींराम के देहान्त के बाद रामकुमार व रामकुमार के बाद उसकी पुत्री श्यानादेवी के नाम तथा श्यानादेवी के देहान्त के बाद यह आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 के नाम दर्ज हुई है ।इस प्रकार अपीलान्ट ने सर्व प्रथम0 तो सजरा खानदान गलत पेश किया है वह स्वच्छ हाथो से नहीं आया है । विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस समय ही विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के पूर्वज रामकुमार के नाम दर्ज रही है । अपीलान्ट का इस आराजी पर न तो कभी कब्जा रहा है और ना ही खातेदारी इनके नाम रही है ।प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है ।विवादित आराजी के हम रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है और एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति रेस्पोडेन्ट को ही होती है ।अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर मनन करने के बाद अपना निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2060 से 2063 में ख0नं0 32 की खातेदारी श्यानादेवी पुत्री रामकुमार के नाम तथा नामा0सं0-908 से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के नाम पर विरासत से खातेदारी दर्ज की है । खसरा गिरदावरी सं0-2002 से 2008 में ख0नं0 32 की काश्त मोहनलाल रामकुमार पि0 कन्हींराम के नाम दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2019 से 2023, 2012 में ख0नं0 32 रामकुमार वि0 कन्हीराम के नाम दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या-254 जो विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया है जिसमें भगवानाराम पि0 लालाराम दर्ज किया है । राजस्व रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी कन्हीराम व उसके बाद रामकुमार पुत्र

व रामकुमार हुये है ।भगवानाराम मोहन का पुत्र न होकर लालाराम का पुत्र है जो ७ नामान्तरकरण सं0-254 के अनुसार है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-4 व 5 की खातेदारी विक्रय पत्र के आधार पर जमाबन्दी में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट का न होकर रेस्पोडेन्ट का ही है । तथा उक्त आराजी विरासतन के आधार खातेदारी में बदलती रही है। अब अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उसका इस आराजी पर कब्जा रहा है ।नामान्तरकरण दर्ज किये गये है जो कब्जा की जांच करने के बाद ही दर्ज किये है ।ऐसी स्थिति में ऐ रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट को ही होगी । अदालत मातहत ने इन सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अपना निर्णय पारित किया जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते । विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य प्रकरण से भिन्न है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक दिनांक 28-1-2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.6.2018 को सुनाया गया ।

5/6/18

(शंकरलाल मेवरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर